न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.18/अपील/2023 (GCMS No. 2023/63)	13.02.2023	27.10.2025

श्रीमती मोहिनी सोमाणी पुत्री स्व. शिवनारायण जी बिड़ला,
पत्नी सूरजमल सोमाणी जाति महाजन, निवासी सत्यनारायण मंदिर
के सामने, बडे मंदिर के पास, पुरानी धानमण्डी भीलवाडा,
हाल निवासी गणेशजी के मंदिर के सामने, खोजागेट रोड बून्दी (राज.)

– अपीलांट

बनाम

1. द्वारकालाल बिड़ला पुत्र स्व.शिवनारायण बिड़ला जाति महाजन
   निवासी गणेशजी के मंदिर के सामने, खोजागेट रोड, बून्दी
2. मुकुटबिहारी बिड़ला पुत्र स्व.शिवनारायण बिड़ला जाति महाजन
   निवासी गणेशजी के मंदिर के सामने, खोजागेट रोड, बून्दी
3. श्रीमती सोहिनी सोमाणी पुत्री स्व.शिवनारायण बिड़ला जाति महाजन
   पत्नी स्व.गोपाल सोमाणी निवासी 705 कैलाश टावर, शिव सृष्टि
   काम्प्लेक्स, गोरेगॉव, मुलुण्ड लिंक रोड, नाहुर मुलुण्ड (वेस्ट) मुम्बई
4. श्रीमती मीना मोदानी पुत्री स्व.शिवनारायण बिड़ला
   पत्नी सम्पत कुमार निवासी कपड़ा मार्केट ब्यावरा, जिला राजगढ
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री रामकुमार दाधीच, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 3, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो.सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 152 दिनांक 19.08.1997 ग्राम बून्दी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार शिवनारायण वल्द नाथूलाल कौम महाजन निवासी बून्दी के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 18/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/63 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 09.10.2023 पेश किया जाकर अपील गंभीर मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पेश किया जाकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम सं. 2 बून्दी द्वारा विभाजन सम्पत्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सं. 85/2008 बउनवान श्रीमती मोहनी सोमाणी बनाम द्वारकालाल में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2019 की प्रति रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। संलग्न दस्तावेज न्यायालय निर्णय की प्रति है, जो संदेय से परे होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

तत्पश्चात बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा वाकेग्राम बून्दी में स्थित है, जो शिवनारायण वल्द नाथूलाल कौम महाजन साकिन बून्दी की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार शिवनारायण एवं उनकी पत्नी धापूबाई के रेस्पो.कम सं.1 व 2 पुत्र एवं रेस्पोडेंट कम सं. 3 व 4 एवं अपीलांट मोहिनी सोमाणी पुत्रियां उत्पन्न हुई, जो खातेदार के विधिक वारिसान व प्रतिनिधि है। उक्त खातेदार शिवनारायण की मृत्युपरान्त अपीलाधीन भूमियों में अपीलांट मोहिनी सोमाणी एवं रेस्पो.सं. 3 व 4 पुत्रियों को छोड़ते हुये केवल खातेदार के पुत्र रेस्पो.सं. 1 व 2 एवं उनकी पत्नी धापूबाई के नाम अपीलांट की बिना सुनवाई किए ही और अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 19.08.1997 रेस्पो.सं. 5 द्वारा तस्दीक कर दिया गया। जिससे अपीलांट अपने सुनवाई के अधिकार से वंचित हुई है, उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अवैध एवं निरस्तनीय है। फौती नामान्तरकरण प्रकिया में खातेदार शिवनारायण द्वारा छोडी गई उक्त अपीलाधीन भूमियों में प्रत्येक वारिस के निहित 1/5 हिस्से पर सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण कानूनन तस्दीक किया जाना चाहिए था, किन्तु उक्त भूमियों में अपीलांट का 1/5 हिस्सा निहित होने एवं उक्त हिस्से पर अपीलांट काबिज काश्त होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे की जांच नहीं की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से वह अपना जवाब, साक्ष्य, दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नहीं कर सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किये जाने से वह अपने हक, अधिकार से वंचित हो गई है। अपीलांट कानून की बारिकियों को नहीं समझती है और न ही उसे कानून की समझ है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई गई, इसलिए अपीलांट को नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में माह जनवरी,2023 के द्वितीय सप्ताह में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर दिनांक 13.01.2023 को कार्यालय में जाकर तलाश करने पर उसी दिन उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उसी दिन आवेदन कर दिनांक 18.01.2023 को नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की गई है जो जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत है। फिर भी देरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है और अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में RRD 1998 page 319, RRT 2022(I) page 493, DNJ 2024(I) (Raj.) page 164 एवं DNJ 2024(I) (Raj.) page 240 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट का नाम भी उक्त अपीलाधीन भूमियों में बतौर खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 एवं अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि खातेदार शिवनारायण ने अपनी पुत्रियों के विवाह के समय काफी धन दौलत खर्च की थी, उसके बाद भी समय समय पर पुत्रियों पर काफी धन खर्च कर चुके है। दीपक जो प्रारम्भ से ही खातेदार शिवनारायण के पास रहता था उसको पढ़ाने लिखाने में भी काफी धन खर्च किया था। खातेदार शिवनारायण द्वारा दिनांक 06.01.1997 को उनकी सम्पत्ति की वसीयत अपने दोनों पुत्रों रेस्पो.सं.1 व 2 के पक्ष में निष्पादित की थी। जिसमें तीनों बेटियों को जो देना था, वह समय पर दे दिया और अब उनकी बेटियों का उनकी सम्पत्ति में कोई हक नहीं होगा, अंकित किया है, जिसे तीनों बेटियों ने स्वीकार किया था। खातेदार शिवनारायण की मृत्यु के उपरान्त फोती नामान्तरकरण सं. 152 अपीलांट की सहमति से खुला था। इस प्रकार अपीलांट को शुरू से ही उक्त नामान्तरकरण सं. 152 की जानकारी रही है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

इसके बावजूद 25 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद उक्त नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी गई। अपीलांट ने उक्त कृषि भूमि के बाबत सन 2008 में ही एक सिविल वाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम संख्या 2 बून्दी के न्यायालय में वाद संख्या 85/2008 बउनवान मोहनी बनाम द्वारकालाल पेश किया था, तब से ही अपीलाट को उक्त भूमि के खाते में रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज होने की जानकारी हो गई थी। इस प्रकार अपीलांट की अपील जानकारी होने के बाद से गंभीर मियाद बाहर पेश की गई है, जो अवधि बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने देरी से अपील करने का जो कारण अंकित किया है वह गलत है। अपीलांट सन् 2008 से ही अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में है इसके बावजूद माह जनवरी,2023 में अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर जानकारी होने का मिथ्या तथ्य अंकित किया गया है। इस भूमि के संबंध में सन् 2008 से बटवारे का वाद सिविल न्यायालय में चल रहा है, जहां पर अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण को प्रदर्श के तौर पर दर्शाया गया है। इस कारण तब से ही अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की पूरी जानकारी होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। अपीलांट द्वारा सिविल वाद की जानकारी के बावजूद भी 15 वर्ष बाद उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई। अत्यधिक देरी का कोई कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित नहीं किया गया है। बिना न्यायोचित कारण के अत्यधिक विलम्ब कन्डोन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर विलम्ब से पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपने कथन के समर्थन में DNJ 2025(I) page 55 एवं DNJ 2024(I) page 658 की नजीरें पेश की गई।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम बून्दी के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 152 में अंकित कृषि भूमि किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा का खातेदार शिवनारायण वल्द नाथूलाल कौम महाजन सा.बून्दी था। खातेदार शिवनारायण के देहान्त के बाद उसके खाते की कृषि भूमि पर मु0 धापूबाई बेवा शिवनारायण, द्वारकालाल, मुकटबिहारी पि0 शिवनारायण कौम महाजन सा0 बून्दी के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 19.08.1997 तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांट को आपत्ति है कि उक्त नामान्तरकरण मृतक खातेदार शिवनारायण के सभी वारिसान के पक्ष में दर्ज नहीं किया जाकर केवल दोनों पुत्रों के पक्ष में तस्दीक किये जाने के कारण विधिविरूद्ध है। अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि रेस्पो.सं.1 व 2 का तर्क है कि अपीलांट को नामान्तरकरण की सम्पूर्ण जानकारी वर्ष 2008 को हो जाने के बाद भी निर्धारित समय सीमा में अपील पेश नहीं किये जाने से अपील लिमिटेशन पर ही खारिज की जावे।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी माह जनवरी,2023 के द्वितीय सप्ताह में होने पर दिनांक 13.01.2023 को नकल हेतु आवेदन किया जाना तथा नामान्तरकरण की नकल दिनांक 18.01.2023 को प्राप्त होना अंकित किया है, किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया कि उसके द्वारा अपने पिता खातेदार शिवनारायण के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड की वर्षो तक जानकारी क्यों नहीं की गई, जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 19.08.1997 को तस्दीक हुआ है तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 07.02.2023 को उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील करीब 25 वर्ष बाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा दिनांक 07.02.2023 से पूर्व नामान्तरकरण की अपील पेश नहीं किये जाने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया।

यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलांट द्वारा एक वाद संख्या 85/2008 बाबत विभाजन सम्पत्ति व दादरसी स्थायी निषेधाज्ञा बउनवान श्रीमती मोहिनी सोमाणी बनाम द्वारकालाल बिड़ला वगै. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या– 2 बून्दी में दायर किया गया था, जिसमें निर्णय दिनांक 16.04.2019 से प्राथमिक डिक्री के आदेश प्रदान किये गये। उक्त निर्णय के पेरा संख्या 4 में अपीलांट की ओर से अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल को प्रदर्श 4 पर प्रदर्शित किया गया। उक्त निर्णय के पेरा 6 में वादी की बहस अंकित की हुई है, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि खातेदार शिवनारायण के खाते की उक्त कृषि भूमियों का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं.1 व 2 ने अपने तथा माता श्रीमती धापूबाई के नाम खुलवा लिया है।

उक्तानुसार सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की सम्पूर्ण जानकारी उक्त सिविल वाद के दौरान रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध काफी विलम्ब से अपील पेश किये जाने का कोई स्पष्टीकरण/ संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what

may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed.

यहां यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि विवादग्रस्त कृषि भूमियों के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद के निर्णय अनुसार पक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण होना है, तदनुसार ही उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण हितबद्ध पक्षकारान के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना में तस्दीक किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने में पूर्णतः असफल रही हैं। वर्ष 2008 में अपीलांट को नामान्तरकरण की जानकारी हो जाने के बावजूद माह जनवरी,2023 के द्वितीय सप्ताह में नामान्तकरण की जानकारी होना अंकित किया है जिससे प्रकट होता है कि अपीलांट क्लीन हेण्ड से नहीं आई है। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी